

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर
दिनांक:
क्रमांक: ई-20/म.स्वा.का./ (सी-263)/2011/

- आदेश -

निदेशालय के आदेश ई-20/म.स्वा.का./ (सी-263)/11/1076 दिनांक 29.7.2011 के द्वारा (Annexure-D) 209 अभ्यर्थियों की परिवेदनाएं जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की नियुक्ति के संबंध में प्राप्त हुई थी, के निस्तारण की स्थिति में निम्नांकित अभ्यर्थियों का संलग्न सूची के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित निस्तारण में आंशिक संशोधन किया जाता है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांक: ई-20/म.स्वा.का./ (सी-263)/2011/1252

दिनांक: 11/09/2011

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर।
4. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि इस चयन सूची के समाचार को राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का श्रम करें।
6. प्रभारी अधिकारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त चयन सूची को विभागीय वेब साईट पर डाउनलोड करें।
7. आदेश/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

(Annexure-D)

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (नियमित) के पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त परिवेदनाओं का विवरण

क्र.सं.	परिवेदना प्राप्ति की दिनांक	नाम, पिता/पति का नाम	गृह जिला	6625 वाली सूची में क्रमांक (RSNO/SNO)	वर्ग	परिवेदन का कारण	निस्तारण
32	07.06.2011	भगवती मानावत पुत्री श्री लाल चंद मानावत	चूरू	10901/3860	SBC	प्राथिया द्वारा निवेदन किया गया है कि दिनांक 01.06.2011 को जारी चयन सूची में नाम शामिल नहीं है। आवेदन मांगते समय विज्ञप्ति में इस प्रकार का कोई वर्णन नहीं किया गया। महोदयजी में विशेष पिछडा वर्ग (गडिया लोहार) की हू। चयन सूची में 60 प्रतिशत वाले अर्थी का चयन हुआ है जबकि मेरी 65 प्रतिशत है।	चयन योग्य (एसबीसी)। अर्थी की कुल औसत प्रतिशत 63.067 है।
91	10.06.2011	कविता कुमारी पुत्री श्री रघुवीर सिंह	झुन्झुनू	16829/1380	OBC	प्राथिया द्वारा निवेदन किया गया है कि उनके समान औसत वाले अर्थी का चयन निदेशालय द्वारा जारी वरियता सूची में हुआ है। जबकि इनका नहीं हुआ है। अतः महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद हेतु चयन सूची में नाम जुडवाते हुए प्राथिया को न्याय दिलाने की कृपा करें।	अयोग्य, ओबीसी का कट ऑफ 73.150 रहा है। प्राथिया की कुल औसत प्रतिशत 72.315 है।